



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563. फैक्स नं. : 2231562. वेबसाइट : <http://bsea.bihar.gov.in>, वेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 04/04/2025

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-17/ 2024 ..1041..... प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 द्वारा वैशाली जिला के वैशाली प्रखंड अन्तर्गत चिंतामणिपुर पैक्स के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। उक्त पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम मतदाता सूची विवाद के कारण अधिसूचना संख्या- 2100 दिनांक 23.11.2024 द्वारा स्थगित किया गया था। पुनः अधिसूचना संख्या- 524 दिनांक 19.02.2025 द्वारा समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया, किन्तु संशोधित मतदाता सूची में भी कतिपय गड़बड़ियाँ दृष्टिगत होने के कारण अधिसूचना संख्या- 766 दिनांक 07.03.2025 द्वारा समिति का निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। मतदाता सूची पर प्राप्त शिकायत की जांचकर पत्रांक 949 दिनांक 25.03.2025 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), वैशाली द्वारा मतदाता सूची का पुनर्प्रकाशन कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

2. अतः उक्त आलोक में वैशाली जिला के वैशाली प्रखंड अन्तर्गत चिंतामणिपुर पैक्स के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-1871 दिनांक 18.10.2024 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत निर्धारित किया जाता है :-

(i)	निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित सूचना का प्रकाशन	07.04.2025 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	12.04.2025 (शनिवार) एवं 15.04.2025 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	16.04.2025 (बुधवार) एवं 17.04.2025 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	21.04.2025 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	28.04.2025 (सोमवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	28.04.2025 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	30.04.2025 (बुधवार)

3. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में वैशाली जिला के वैशाली प्रखंड अन्तर्गत चिंतामणिपुर पैक्स के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार, यथा- माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह-

निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे एवं इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 11.04.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. मतदान केन्द्र पैक्स गोदाम/ कार्यालय से अलग किसी सरकारी भवन में स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में प्राधिकार के पत्रांक 2232 दिनांक 12.12.2024 में दिये निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें पुनः नामांकन पत्र दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। नये अभ्यर्थी नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं।

6. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में मतदान का समय पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार 7:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र- ई०18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे। इसके लिए अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 के परिशिष्ट-1 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

7. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 30.04.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश “सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका” के पृष्ठ 134-142 पर देखा जा सकता है।

8. अधिसूचना संख्या- 1871 दिनांक 18.10.2024 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

आशुतोष
4-04-25
(आशुतोष कुमार)

अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1041

पटना/ दिनांक 04/04/2025

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

आशुतोष
4-04-25
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1041

पटना/ दिनांक 04/04/2025

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), वैशाली/ पुलिस अधीक्षक, वैशाली/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), वैशाली/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आशुतोष
4-04-25
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1041

पटना/ दिनांक 04/04/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आशुतोष
4-04-25
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1041

पटना/ दिनांक 04/04/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आशुतोष
4-04-25
अवर सचिव।

ज्ञापांक: 1041

/पटना, दिनांक 04/04/2025

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आशुतोष
4-04-25
अवर सचिव।

ज्ञापांक : 1041

पटना/ दिनांक 04/04/2025

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वेबसाइट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

आशुतोष
4-04-25
अवर सचिव।